STATUTORY RESOLUTION AND GOVERMENT BILL

Disapproval of the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Ordinance, 2019 (No. 13 of 2019); and The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Bill, 2019* — *Contd.*

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): उपसभापति महोदय, पहले मुझे यह बताया जाए कि मेरा वक्त आज नया शुरू होगा या पुराने वक्त की गणना के बाद समय मिलेगा?...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप कल जितना बोल चुके हैं, उसके बाद जितना समय बचा है, उसमें आप अपनी बात पूरी करें।...**(व्यवधान)**...

प्रो. मनोज कुमार झा: मैंने सोचा कि आज नई सुबह है।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: सभी हाउस में आपके सामने जो बात हुई, आपको पता है। माननीय सदस्यों की राय, ...**(व्यवधान)**... माननीय हाउस की राय है कि इसे 3.00 बजे तक हम खत्म करें। ...**(व्यवधान)**... कृपया सदन में शांति रखें और अपनी सीट पर जाएं। ...**(व्यवधान)**...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, may I request, कल कांग्रेस के एक माननीय सदस्य ने कहा था कि वे मुझे दो मिनट देंगे। मैं कल कही बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन माननीय मंत्री महोदय, मुझे एक शिक्षक के रूप में एक चीज़ जो सबसे ज्यादा परेशान करती है, सामाजिक न्याय के रूप से देखें तो जैसा हमारे कई साथियों ने कहा — certain institutions of excellence को आप इससे debar कर रहे हैं। इसके पीछे क्या logic है, क्या rationale है? आम बोलचाल की भाषा में कई rationale चलते हैं, जैसे merit को protect करना है। मैं इस सदन में कम-से-कम दस बार कह चुका हूं कि merit is the over-hyped myth — ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। संसाधनों से merit बनती है और संसाधनों से merit खत्म होती है। माननीय मंत्री जी, इस चीज़ को ध्यान में रखें।

Ad hoc teachers का जो मसला है, मैं चाहता हूं कि इसे आप गम्भीरता से लें। हजारों ad hoc teachers आज देश के अलग-अलग विश्वविद्यालयों में हैं, जो 15-20 वर्षों से काम करते आ रहे हैं। आप उनके समायोजन की क्या कोशिश कर रहे हैं? क्या उनको एक कलम के signature से निकाल दिया जाएगा? मैं एक विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं। आपने सीटें बढ़ाई हैं। मैंने विभागाध्यक्ष की भूमिका भी निभाई है। एक बार आप दिल्ली विश्वविद्यालय जाकर देखें। हम उन्हें कहां बिठाएं? Infrastructure cramped है और हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं।

मैं एक और महत्वपूर्ण सलाह माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। हम अक्सर अखबारों में institutional discrimination के बारे में पढ़ते हैं, जिसके शिकार हमारे बच्चे होते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी की attention चाहूंगा।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: मंत्री जी, माननीय सदस्यगण, आपका ध्यान चाहते हैं।...**(व्यवधान)**...

---

*Further discussion continued from the 2nd July, 2019.

प्रो, मनोज कुमार झा: महोदय, मैं आपकी निगाह अपनी ओर देखना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी से मेरा सिर्फ इतना कहना है कि institutional discrimination एक harsh reality है। हमने रोहित वेमुला को खोया। हजारों रोहित वेमुला इस देश में दुनिया को अलविदा कह रहे हैं — हमारी नीतियों, मान्यताओं, प्राथमिकताओं और पूर्वाग्रहों की वजह से। एक Rohith Act आप enact कीजिए, ताकि institutional discrimination का खात्मा हो सके।

अंत में, मेरा एक छोटा point और है, जिसे RTI के माध्यम से UGC ने दिया है। 40 Central Universities में SC-3.47 परसेंट, ST-0.7 परसेंट, the percentage of OBCs in the Professor's category is zero and for General candidates, it is 95.2 per cent. यह हमारी हकीकत है। एसोसिएट प्रोफेसर - एससी - 4.96 परसेंट, एसटी - 1.30 परसेंट, जनरल - 92.90 परसेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर - एससी - 12.02 परसेंट, एसटी - 5.46 परसेंट, ओबीसी - 14.38 परसेंट, जनरल - 66.27 परसेंट, नॉन-टीचिंग स्टाफ - एससी - 8.96 परसेंट, एसटी - 4.25 परसेंट, ओबीसी-10.17 परसेंट, जनरल - 76.14 परसेंट...**(समय की घंटी)**...

श्री उपसभापति: झा जी, आप conclude कीजिए।

प्रो. मनोज कुमार झा: माननीय मंत्री महोदय, अगर इन हालातों में तब्दीली न की, तो institute of excellence के नाम पर हम पूर्वाग्रहों के आधार पर चीज़ों को खत्म करते रहेंगे, बड़ी-बड़ी बातें होंगी। अत: मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इन्हें incorporate किया जाए, जय हिन्द।

SHRI ANIL DESAI (Maharashtra): Sir, I rise to support the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Bill, 2019. This Bill has been introduced to replace an Ordinance issued in March this year. As soon as this legislation is passed in this august House, it will allow filling up of more than 7,000 faculty vacancies in 41 Central Universities and it will also provide 10 per cent reservation for economically backward sections from General Category along with Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and Socially and Educationally Backward Classes.

Sir, this step would give a major push to reforms in education sector making it inclusive and fulfilling aspirations of the all people from different categories. Since there existed faults in 13-Point Roster, the 200-Point Roster was adopted from 2013 onwards across most Government institutions following the UGC circular. According to this Roster, all departments were to be pooled and the entire institution like the university or a college was to be taken as one unit for calculation of positions for particular category.

In this formula, every reserved category gets earmarked percentage of reservation mandated by the Constitution when a cycle of 200 appointments is completed. However, the Hon. Minister may enlighten the House about the methodology of using the Roster to ensure adequate representation of reserved categories. Today, plight of teaching

[Shri Anil Desai]

community is precarious as thousands of teachers are engaged with educational institutions on part-time or temporary assignments and also on contract basis. Teachers are abundant these days and this is the real situation. They work for years together without any facilities and without any security of permanent job. Out of this frustration, like the farmer community, teachers too have started committing suicide and we are witnessing that they lose their fight against the life. The Government should look into this grim situation and generate ample job opportunities by creating educational institutions on a wide scale.

Lastly, Sir, in this Bill, as provisions of Clause 3 of the Bill shall not apply to institutions of excellence, research institutions of national and strategic importance specified in the schedule or the minority educational institutions, will it not amount to making injustice to SCs, STs and OBCs? If you see the technical side and the administration side of any institution, in the administration side of the institute, you have officers and staff from Class 1 to Class 4, where reservations are applied, where jobs are given according to the reservation, why should there by a difference with regard to the technical staff or the faculty when the question of faculty come? Maybe it is the institution of excellence but will it not deprive intelligence or talent which is there in students belonging to SC, ST or OBC? The hon. Minister should explain the logic behind not allowing reservation in faculty positions in these particular positions. With these words, I support the Bill. Thank you.

श्री सुशील कुमार गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली): उपसभापति महोदय, मैं इस the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Bill, 2019 के पक्ष में खड़ा हुआ हूं। मुझे सरकार से दो बातें शिकायत के रूप में कहनी हैं। यह बिल पिछली बार दो दिन पहले लोक सभा में पास हुआ। जब देश का कानून बनता है, तब सांसदों को कम-से-कम एक उचित समय मिलना चाहिए, ताकि वे उस बिल को आराम से पढ़ सकें और उसके विषय में जो बात कहनी है, वे अपने विचार हाउस के सामने दृढ़ता से देख सकें। इस बिल को इतनी जल्दी में पास कराया जा रहा है, यह सर्वथा अनुचित है।

दूसरी मेरी शिकायत यह है कि पिछली लोक सभा के दौरान मैं बार-बार सरकार से आग्रह करता रहा कि आप 13 प्वाइंट रोस्टर पर भर्तियों को रोकिए। आपने उन भर्तियों को नहीं रोका। हाउस में सदस्यों को जबरदस्ती दबाया गया। इसके साथ-साथ आपने शिक्षण संस्थाओं में भी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए चुनाव से चंद दिन पहले 7 मार्च, 2019 को अध्यादेश लाकर इस पर रोक लगा दी। मैं यह कहना चाहता हूं कि कभी-भी शिक्षण संस्थाओं के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर सदन यह पहले से चाह रहा था, तो यह एक्ट पिछली लोक सभा के दौरान भी आ सकता था। इसके साथ मेरे सरकार को दो सुझाव हैं। देश का विकास मानव

संसाधन के विकास से ही संभव है, अन्यथा हम कितने भी पुल बना लें, कितनी भी सड़कें बना लें, लेकिन अगर मानवता का विकास नहीं होगा, तो देश का विकास नहीं हो सकता। मान्यता के विकास के लिए सबसे पहले शिक्षा और फिर चिकित्सा का प्रावधान होना चाहिए। प्रत्येक देशवासी को बढ़िया शिक्षा मिलनी चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि देश में लगभग 3,14,000 प्रोफेसर्स के पद खाली हैं, जिनमें से 7,000 केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में खाली हैं। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स के 2,500 पद खाली हैं। क्या ये पद खाली रहने से देश के आने वाले भविष्य, जो नौजवान हैं, उनके साथ न्याय हो सकता है? यह कदापि संभव नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि इन सभी पदों की भर्ती को पूरा करने के लिए आने वाले बजट में, जो बजट अगले सप्ताह माननीय वित्त मंत्री जो पेश करने वाली हैं, उसमें आप शिक्षा का बजट बढ़ाएं। दिल्ली सरकार अपना 26 प्रतिशत बजट शिक्षा के ऊपर खर्च करती है। मैं केंद्र सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा, जिस प्रकार दिल्ली सरकार शिक्षा के ऊपर 26 परसेंट बजट खर्च करती है, आप भी इसे अपने बजट में बढ़ाएं, ताकि देश के होनहार बच्चे पूरे विश्व में अपना नाम कर सकें और यह हिन्दुस्तान आगे बढ़ सके।

महोदय, इसके साथ-साथ मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। दिल्ली एक metropolitan city है। यहां हर वर्ष लाखों की संख्या में population बढ़ती है। दिल्ली सरकार के पास कॉलेज बनाने के लिए भूमि की व्यवस्था नहीं है। इस सदन के माध्यम से, उपसभापति जी, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार को higher educational institutions बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराए। आज हमें existing स्कूलों के अंदर कमरे बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमें डीडीए से भूमि नहीं मिलती है और हम मजबूरी में वर्तमान विद्यालयों में ही कमरे बनाकर बच्चों की आगे की शिक्षा का प्रबंध कर रहे हैं। परंतु, मैं उच्च शिक्षा की बात करता हूं, मैं टेक्निकल शिक्षा की बात करता हूं। दिल्ली सरकार चाहती है कि यहां कॉलेज खोले जाएं, परंतु भूमि का अभाव है, क्योंकि भूमि केंद्र सरकार के अधीन है, डीडीए के अधीन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस अभाव के अंदर रहते हुए दिल्ली के बच्चे दुनिया के कोने-कोने में पढ़ने के लिए जाते हैं।

श्री उपसभापति: माननीय सत्यनारायण जटिया जी, Present नहीं हैं। माननीय शिव प्रताप शुक्ल जी... श्री अमर शंकर साबले... Present नहीं हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी, आपके पास पांच मिनट का समय है।

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, जो बिल लाया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन दो-तीन बातें कहना चाहता हूं।

जो सरकार आज है, वह मूल रूप से आरक्षण-विरोधी रही है, उस विचारधारा की रही है और यही कारण है कि University Grants Commission's Guidelines, 2006 के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि institution की बजाय department-wise और subject-wise आरक्षण होगा, वह पूरे तरीके से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के खिलाफ था। यदि सरकार सचेत रहती और आरक्षित वर्गों के प्रति समर्पित रहती, तो यही कानून 2016 में लाया जा सकता था, 2017 में लाया जा सकता था, लेकिन वह न लाकर मार्च, 2019

[श्री दिग्विजय सिंह]

में वह Ordinance लाई, ताकि चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को आकर्षित किया जा सके।

वर्ष 2016 और 2019 के बीच में, हर यूनिवर्सिटी ने जितने भी कॉलेजेज़ थे, उनमें बड़े पैमाने पर भर्तियां कीं और जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता, माननीय मनोज कुमार झा जी कह रहे थे, यदि आप Professors, Assistant Professors, Lecturers, यहां तक कि non-teaching staff का demographic profile देखेंगे, तो पता चलेगा कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के खिलाफ है। माननीय उपसभापति महोदय, न्यायपालिका का जो यह रुख है, इसके बारे में इतना ही कहूंगा कि न्यायपालिका में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, जिसकी वजह से लोगों में आरक्षण के समर्थन की जो मानसिकता होनी चाहिए, उसकी कमी महसूस की जाती है।

अब, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वर्ष 2016 से लेकर 2019 के बीच में अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति का जो संवैधानिक तौर पर बैकलॉग रह गया है, उन पर हर institution को पहले भर्ती उन वर्गों में से करनी चाहिए और बाद में ही उन पर बाकी वर्गों में से भर्ती होनी चाहिए। मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि आप उन संस्थाओं में excellence के नाम पर आरक्षण न दें। यह वैसे पदों के लिए ठीक है, जहां एससी, एसटी और ओबीसी के बहुत ज्यादा लोग qualified न हो पाए हों, लेकिन non-teaching staff में तो आप कर सकते हैं। आपको colleges और Institutions of Excellence में non-teaching staff में आरक्षण देने में क्या एतराज़ होना चाहिए?

मैं इन दो-तीन बातों का उल्लेख करते हुए अपनी बात यहां पर समाप्त करूंगा। आपने मुझे पांच मिनट का समय दिया था, मैं अपने दो मिनट कम कर रहा हूं, ताकि इलेक्शन कमीशन के बारे में ज्यादा चर्चा हो सके। माननीय मंत्री जी से मेरा इतना ही अनुरोध है कि यहां से यह डायरेक्शन जाना चाहिए कि जब तक बैकलॉग पूरा न हो जाए, एससी, एसटी के आरक्षित पदों की भर्ती न हो जाए, तब तक अन्य पदों पर इन्हीं वर्गों की नियुक्ति करनी चाहिए, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri T.K.S. Elangovan. Okay, Shri Tiruchi Siva. You have four minutes. Please follow Digvijaya Singhji in making brief points.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I will start with him. As my senior colleague, Shri Digvijaya Singh, observed here, subsequent to UGC Guidelines 2006, which provide for cadre as a unit for determination of reservation roster point in teaching posts, which was quashed by the Allahabad High Court and was upheld in the Supreme Court, immediately after the judgment — yesterday Prof. Ram Gopal Yadav also mentioned here — advertisement was issued for some 7,000 vacancies. So, that created a very big apprehension that the reservation policy would come to a standstill. Had the 13-point roster been maintained, a person who is to get an appointment in a certain department would have to wait for ten to twenty years. So, at the right point of time, — maybe,

it is a little bit delayed — the Government brought in the Ordinance and, subsequently, a Bill to replace the Ordinance. It says that it will be a unit. So the 13-point roster has been converted into 200-point roster and it should be welcomed. Sir, there are 7,000 vacancies in higher educational institutions like colleges and universities. Our students are already suffering because of lack of access to higher education and the vacancies of teacher positions will create much worse situation. I think this Bill, if it becomes an Act, will enable and manage the situation. Sir, I would like to mention another point regarding this. Because of the social set-up in our country, it is inevitable that only the reservation policy could bring the society, at least, to a near equality. Sir, Tamil Nadu has always been a pioneer in spearheading social justice. Sir, it is right to mention here that the first Amendment to the Constitution, in the year 1951, was only for reservations because of the agitation that was held in Tamil Nadu by our late leader Periyar, Anna and Dr. Kalaignar Karunanidhi. Subsequent to a judgement of the Supreme Court in Champakam Dorairajan case, the agitation was conducted and Pandit Nehru and Dr. Ambedkar referred to that and said that socially and backward people should be given reservation. That was the first ever Amendment to the Constitution. Sir, we hail from Tamil Nadu and our leader, Dr. Kalaignar, when he was the Chief Minister, provided 30 per cent reservation for women in all workplaces in Government...*(Interruptions)*...and 3.5 per cent to the Muslim community. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): Sir, we have to mention that Amma...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: कृपया सीट पर बैठकर बात न करें।

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, reservation policy will always help the sections of people, who have been oppressed, depressed and suppressed for quite a longer time because of the social set-up. So I welcome this Bill and I think it would resolve so many issues. I would reiterate one important point which my other colleagues also pointed out that there are some exemptions. Why? Kindly remember that Agniputra Abdul Kalam or Mylswamy Annadurai, who are the main reasons for Chandrayaan or Mangalyaan, are from OBC community. If OBCs or SC/ST people are not allowed to the research institutions like this, I think this would be an injustice. You have been referring many a time that in institutions of national importance, reservations would not be allowed. Why? Why this discrimination after all these years, after Independence, after attaining the Republic and achieving social justice and all? Sir, if this is maintained, this would be another

[Shri Tiruchi Siva]

discrimination. Sir, the new Minister, who is very much interested in taking up good things, I would request him and urge him to take this into consideration, and the institutions of national importance should not exempt reservations in admissions or appointments. That is the main point, and with these words, I welcome this Bill on behalf of the DMK Party.

श्री उपसभापति: सत्यनारायण जटिया जी, आपके पास मात्र 10 मिनट का समय है।

डा. सत्यनारायण जटिया (मध्य प्रदेश): महोदय,

"वक्त है फूलों की सेज़, वक्त है कांटों का ताज।
कौन जाने किस घड़ी, वक्त का बदले मिज़ाज।।"

महोदय, वक्त-वक्त की बात है और निश्चित रूप से, यह जो विधेयक आया है, यह बहुत ही अच्छा विधेयक आया है। अब लोग न्याय करने की बात करते हैं, किन्तु न्याय करके दिखाना आसान नहीं होता है। अभी खूब चला था कि अब होगा न्याय, परन्तु न्याय तो हमें ही करना है। इसलिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात संविधान न कही है। यह शैक्षिक न्याय का सबसे बड़ा उदाहरण है, "सबको शिक्षा, सबको मान, मेरा भारत बने महान।"

महोदय, सबको शिक्षा देने के उपाय के रूप में संविधान में प्रावधान किया गया है, उसे Preamble कहा गया है। उस Preamble की रचना करते समय 22 जनवरी, 1947 को जो बात कही गयी थी, उसमें भी इस बात का ध्यान रखा गया था कि इसमें भारत की जनता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा विधि के समक्ष समता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता मिले। महोदय, हम जो कहते हैं कि 'हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न गणराज्य बनाएंगे', यह 'हम' भारत की शक्ति है, यही लोकतंत्र है। इसलिए शैक्षिक लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण बात है। बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित बने बिना कोई विषय समझ में नहीं आएगा। शिक्षित बने बिना मनुष्य को, मनुष्य क्या है, यह भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए, उसको मानव बनाने के लिए, उसको मानव की समझ देने के लिए, उसको मानव के अधिकार समझाने के लिए शिक्षा जरूरी हो। यह जो विषमता हो गई थी, यह विधेयक तो ऐसे साधारणतया उन बातों के लिए है और न्यायालय ने आदेश कर दिया था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग और आर्थिक वर्ग से जो विपन्न हैं, उनके लिए जो 10 प्रतिशत आरक्षण हुआ है, इन सारे लोगों के लिए शिक्षा के अवसर होंगे। जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, उसमें अध्यापक होंगे, उनको मौका मिलेगा, प्रोफेसर्स को मौका मिलेगा, सहायक प्राध्यापक को मौका मिलेगा और इसलिए इन सारी बातों को, जो विश्वविद्यालय स्तर पर होनी चाहिए थीं, उनको विभाग स्तर पर लाकर, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। ऐसे प्रतिबंध लगाने से निश्चित रूप से जो अधिकार मिले हुए हैं, जो संविधान में समता का अधिकार है, सब को बराबर में लाने के लिए, जो आरक्षण की बात कही गई है, उनको हम झुठलाने का काम करते होंगे और उस बात को सच्चा करने के लिए, क्योंकि हम तो कहते हैं - 'सत्यमेव जयते' सत्य की विजय होती है। "नानृतम" - असत्य

की नहीं होती है। यही सत्य का पथ है। "सत्येन पन्था विततो देवयान:।" यही दिव्यता का मार्ग है। इसलिए सत्य के अनुसरण को करने के लिए, सच्चाई को स्थापित करने के लिए, उन लोगों के लिए जिन्हें अभी तक अधिकार नहीं मिले हैं और जो अधिकार मिले भी हैं, उनसे भी उनको वंचित कर दिया गया है। वंचितों को वंचित करने से रोकने का उपाय किया गया है। यह निश्चित रूप से बड़ा अच्छा कदम है और स्वागत योग्य कदम है। मैं जानता हूं कि इस सारे काम में जिस तरह से अनुसूचित जाति के प्रति जो धारणा है, अनुसूचित जाति के वे लोग हैं, जो इस सेवा का काम करते हैं। हमारे यहां पर चार वर्णों की व्यवस्था है - "चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागश:।" उनके आधार पर काम करने के लिए और उसी आधार पर समाज के कामों का संचालन करने की व्यवस्था हमने बनाई थी, किन्तु रूढ़ हो जाने के कारण से और जो काम वे करते रहे, जिस घर में पैदा हुआ, वही उनकी जात हो गई।

"जन्मजात के कारणै, होत न कोउ नीच।"

जन्मजाति के कारण कोई छोटा नहीं होता, किन्तु उसको छोटा कर दिया गया। हमारी सरकार ने सारे कष्ट को समझते हुए:-

"कबीरा सोई पीर है, जो जानै पर पीर।"

जो दूसरे के कष्टों को समझ सकता है, वही श्रेष्ठ है और इसलिए जो दूसरों का कष्ट था, उसको समझने का काम, जो गलती हो गई थी, उसमें सुधार करने का काम और इस प्रकार से जो अध्यादेश था, उसको विधेयक में बदलने का काम हुआ है। निश्चित रूप से यह करते हुए हमें गर्व है और उन लोगों को जो कि इन बातों से वंचित कर दिए गए थे। अब पांच लोगों की नियुक्ति करनी है, चार लोगों की नियुक्ति करनी है, तो हो जाएगी। उसमें अनुसूचित जाति आने का सवाल नहीं उठता है। पिछड़ा वर्ग, जिसको 27 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है, उसका आने का सवाल नहीं उठता है। अनुसूचित जनजाति का, जिसको साढ़े सात प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है, उसको आने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए फिर किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। इसी बात को, जो संविधान सम्मत बात थी, जो उसका अधिकार बनता था, उससे वंचित करने का काम, जो गलती हो गई थी, उसका सुधार करने के लिए उपाय किया गया है। निश्चित रूप से यह जो आरक्षण का रोस्टर बनाया गया था, वास्तव में अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए, पहले 40 प्वाइंट रोस्टर हुआ करता था फिर उसको बढ़ाकर 200 प्वाइंट रोस्टर करने का काम किया। उसके अनुसार सामान्य वर्ग के लोगों को कितना स्थान मिलना चाहिए? फिर उसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को कितना स्थान मिलना चाहिए? उसके बाद अनुसूचित जाति के वर्ग को कितना स्थान मिलना चाहिए, फिर अनुसूचित जनजाति के वर्ग को कितना स्थान मिलना चाहिए? अभी जो आर्थिक आधार पर आरक्षण करने का जो काम किया गया है, जो गरीब हैं और जाति से उसका कोई संबंध नहीं है। गरीबी भी एक जाति ही है और निश्चित रूप से भी इस वर्ग का उत्थान करने का काम हो गया है और वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। इस राष्ट्र की जो शक्ति है, जो संजीवनी शक्ति है, उस संजीवनी शक्ति को और ताकत पहुंचाने के लिए, हमें ताकत पहुंचाने के लिए We, the people of India, "WE" को जो ताकत पहुंचाने का काम किया है, उसके लिए

[डा. सत्यनारायण जटिया]

मैं निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। यह जो काम असंभव लगता था, कि नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वह नहीं हो पाएगा, किन्तु हमने अध्यादेश के माध्यम से उसको लागू करने का काम किया। अध्यादेश की अवधि में जितना काम हो गया है, उसको भी मान्यता दी गई है और विधेयक को लाने के कारण से...यह तो पक्का हो गया है कि अब उन सारी बातों के अधिकारों का संरक्षण करने का काम हो जाएगा। इसलिए, इसमें बहुत स्पष्ट से कहा गया है कि रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए इस विधान को अधिनियमित करना आवश्यक हो गया था, इसलिए अध्यादेश भी आया और विधेयक भी आया। आज के इस प्रसंग पर निश्चित रूप से मुझे बधाई देने का मौका मिला है। सरकार ने जिस शिद्दत के साथ काम किया है, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि:

"हमें निशंक भर शंका नहीं,
शिक्षा में प्रोत्साहन
मोदी जी ने सच कर दिखाया,
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।"

जो सबका विश्वास है, उस विश्वास की कसौटी पर यह सरकार खरी उतरी है, इसलिए वह अभिनन्दन की पात्र है। निश्चित रूप से मैं फिर से कहना चाहता हूं कि संविधान अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता है, उसका पालन करवाने वाले लोग ही अच्छे या बुरे होते हैं। जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि जो विधान का अच्छा पालन करवा सके...

श्री उपसभापति: धन्यवाद डा. जटिया।

डा. सत्यनारायण जटिया: वह अच्छा पालन करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, उसमें मोदी जी ने संविधान के बारे में जो प्रतिबद्धता जाहिर की है, वह निश्चित रूप से अभिनन्दनीय काम हुआ है। मैं आपको अभिनन्दन देते हुए कहना चाहता हूं कि

"क्षितिज तक प्रत्येक दिश में, हम उठें नव प्राण भरने।
नव सृजन की साध ले, हम उठें निर्माण करने।
साधना के दीप शुभ हों, ज्ञान का आलोक छाए।
नष्ट तृष्णा के तिमिर हों, धाम अपना जगमगाए।"

उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं और इस बिल को मेरा समर्थन।

DR. L. HANUMANTHAIAH (Karnataka): Sir, I welcome the Bill. I would like to speak on the background of the Bill which has come here. Some people went to the court. I am sorry to say in this august House that courts are giving the kind of

judgments now-a-days that they want to reduce the empowerment of SCs, STs and OBCs. That is being denied to them by the courts. All these years, I was thinking that Legislature is the supreme body where we made laws which would be implemented by the bureaucracy. If there were any problems, we used to approach the courts to rectify them. Sir, now the courts are doing this kind of things. They are reducing the chances of SCs, STs and OBCs. This is the sad part which we have to think over. It is not only in this case but also in reservation in promotion cases, the courts have struck down. The people had to fight for long. All SCs/STs throughout the country were not given opportunities in promotion. They were struggling to get this. Ultimately, the Parliament had to make a law and that is done.

Sir, secondly, I wanted to know from the Government one thing. There are institutions in higher education which were allowed reservation. There are some institutions which are exempted. I don't understand why this exemption is made to them. Sir, exemptions are given for institutions of excellence, research institutions and institutions of national and strategic importance which have been specified in Schedule-VI. Those things are exempted from reservation in higher education. I just wanted to check what is the problem for not giving reservation in the research institutions, in the institutions of excellence. Does the Government think or this House think that in the institutions of excellence, the SCs, STs and OBCs cannot work as they are not excellent? You are challenging the very basic intelligence of the people, by their birth, which is not allowed in the Constitution. But, how can you exempt these? If you take a decision that in the higher education the reservation can't be given; that is no problem. But, when you take a decision and make a law that law is going to be passed today and you say that some institutions are exempted. Why? That needs to be answered by the Minister. I humbly request him to include those also in this.

Sir, I want to give a small example. In the professor's cadre, if the old system were implemented, there would have been 38 positions for Scheduled Castes whereas in the new system, on account of a court decision, it is only three. Is it the way the empowerment of *dalits,* tribals and OBCs is done? Is it the way the courts are encouraging this? That is what I am thinking. Now, we have come to a stage where we are questioning the courts in this House. That is the saddest part. So, I request this House to pass this Bill unanimously. I also request the Minister to include the exempted ones. We have not been given a chance to give amendments to this Bill. I was not given that. So, generously, I request the Minister to include the exempted institutions also and implement the Bill. Thank you.

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, you and I know that the time is limited and short. Let me begin with some questions to the Government. Why was the Government so late bringing up in Parliament such a legislation? Sir, our country became independent and we got our Constitution 70 years back. After 70 years, suddenly the Government thought about the poor, the OBC's, the SC's and the ST's. The Government is always talking about *Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas.* Till this day, you were not having any trust on them, any care for them and you have the least interest on them. When the votes came, suddenly on a fine morning, you thought of, *Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas*. That is why 70 years were delayed. Then, on 7th of March, 2019 this year, several weeks before the polling date, this Ordinance came. At that time, around 8000 vacancies were there in the universities. I ask the Government, after March 7th till this date, whether the vacancies are filled or not. If they are not filled, the Government has to answer here. I request the Minister, while he replies to the debate, to tell this House the actual number of vacancies that have been filled after the Ordinance came into existence. Sir, I don't want to read the whole details in the House any more. I have to tell you one experience. There is one Sanskrit Vidhyapeet in Tirupati. It is very well known. In that university, the principles of reservation is grossly violated. Sir, three weeks back, I went to the UGC Chairman with a delegation. Sir, 71 vacancies are there for professors, assistant professors and the like. The number of STs is only one, the number of SCs is only seven. The Chairman told me, 'Oh, this is a violation.' He promised that he shall look into it and he further promised he will get back to us. Sir, till this date nothing has happened. Sir, I would like to say, the fact is that in our country there exists an undeclared reservation against the poor, supporting the upper classes, upper castes. It was declared not officially; it was not before us. But, this is why the backlog in Class I and Class II levels was very severe. I am sure, Sir, you know about it. The country knows about it and we further know the reason also. The party which rules the country today has an ideology. That ideology is firmly against the principles of reservation. They are ideologically not for it. Sir, I can even read from the 'Bunch of Thoughts' that reservation is only a term, a term to divide the Hindu Samaj showing the trap of employment and jobs. This is the basic concept of BJP. With this ideology...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI BINOY VISWAM: One minute, please. While concluding, I would say, that is why the BJP Party took a stand against the Mandal Commission Report. They toppled down a Government, the V.P. Singh Government.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI BINOY VISWAM: So, Sir, I welcome the Bill, but I am doubtful about the intention of the Government. With these words, I conclude.

श्री उपसभापति: माननीय शिव प्रताप शुक्ल जी। आपकी पार्टी के द्वारा आपको महज 5 मिनट का समय दिया गया है।

श्री शिव प्रताप शुक्ल (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए 4 मिनट का समय दिया, लेकिन इसमें हमारे अमर शंकर साबले जी के 3 मिनट जोड़कर कुल 8 मिनट हो जाते हैं।

श्री उपसभापति: नहीं, पार्टी ने जो आपको 5 मिनट का समय दिया है, आप उसी समय में बोलिए।

श्री शिव प्रताप शुक्ल: उपसभापति महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को इसके लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी अध्यक्षता में 12 जून, 2019 को केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। उस बैठक में उन्होंने 200 प्वाइंट रोस्टर की व्यवस्था को पुन: लागू करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव दिया और आज उसी का परिणाम है कि हम सब लोग यहां पर डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। आज इसी के कारण देश के विभिन्न संस्थानों में लगभग 7,000 पद इस समय रिक्त हैं। इन पदों को भरने के बाद, उनकी अच्छी स्थिति हो जाएगी।

उपसभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अभी तक मांग करने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ती थी, एक कसक रह जाती थी, लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी ने सामान्य वर्ग को भी, जो 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया, उससे उनके अंदर भी एक भावना जगी, एक किरण जगी कि एक ऐसा कोई प्रधान मंत्री आया है जो गरीबों की चिंता करता है, अगर हम गरीब हैं, तो हमारी गरीबी को ध्यान में रखते हुए, हमें भी शिक्षा के अवसर को, नौकरी के अवसर को देने का काम कर रहा है। आज जो एससी/एसटी को आरक्षण देने पर बहस छिड़ी है, किसी को भी इस पर संदेह करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र के संदर्भ में, जब बात की जाए, तो वह दल से ऊपर उठकर की जाए। मुझे ध्यान है कि अमेरिका के एक राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने वर्जीनिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि "मैं राष्ट्रपति के रूप में कब से कब तक रहा यह न लिखा जाए, मैंने वर्जीनिया विश्वविद्यालय की स्थापना की है, यह मेरी कब्र पर लिखा जाए। इससे मैं शिक्षा को आगे बढ़ाऊंगा।"

सर, हमारे देश में आशुतोष मुखर्जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। इनके पुत्र डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिन्होंने राजनीति का एक प्रतिमान स्थापित किया। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस बात की गंभीरता को समझा और यह निर्णय लिया। यूजीसी के निर्देश थे कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों में विश्वविद्यालयों को इकाई मानकर नियुक्तियां की जाएं। अगर उस समय यूजीसी की बात को मान लिया जाता, तो कितने पद होते, स्वाभाविक रूप से आप यह देखें।

[श्री शिव प्रताप शुक्ल]

मैं यह कह सकता हूं कि इस 200 प्वाइंट रोस्टर के अनुसार 2 लाख से अधिक पद होते। मान्यवर, मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं कि 7,000 पद जो रिक्त हैं, 200 प्वाइंट सिस्टम के आधार पर और 10 प्रतिशत सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, उस आधार पर. पूरे तौर पर यहां जो विधेयक माननीय मंत्री जी द्वारा लाया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्री जी द्वारा लाया गया है, इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा और माननीय प्रधान मंत्री को तो मैं धन्यवाद दे ही रहा हूं। इस बिल में ओबीसी, एससी/एसटी सबके पद बढ़े हैं। जहां एसटी का एक भी पद नहीं हो पा रहा था, अब उसमें एसटी के लिए 54 पद बढ़ गए हैं, जिन पर उनको नौकरी का मौका मिल सकता है। इसी प्रकार से...

श्री उपसभापति: आपके पास बोलने के लिए एक मिनट का समय और है।

श्री शिव प्रताप शुक्ल: जो ओबीसी है, उनको भी पद मिल रहे हैं। मान्यवर, मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय में 133 पद इस व्यवस्था में बढ़ते हैं, यदि पहले के हिसाब से देखें, तो केवल चार पद बढ़ते। उसी प्रकार से...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया, conclude कीजिए। आपका समय हो गया है।

श्री शिव प्रताप शुक्ल: महोदय, यदि सहायक प्रोफेसरों के पदों को देखा जाए, तो इस व्यवस्था के लागू होने के बाद उनकी संख्या 619 हो जाती है, जबकि पहले की व्यवस्था के अनुसार केवल 249 पद ही बनते। इस प्रकार से जो इतना बड़ा अन्तर आया है, वह इस व्यवस्था के लागू होने के बाद आया है। यदि UGC के आधार पर ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात समाप्त करें। यदि वे अपनी बात समाप्त नहीं करेंगे, तो मैं अगले वक्ता को बोलने के लिए कह दूंगा। अत: कृपया समाप्त करें। ...**(व्यवधान)**...

श्री शिव प्रताव शुक्ल: महोदय, आप इस विधेयक के नाते, SC, ST और OBC को बढ़े हुए पदों का लाभ मिल रहा है और इसके साथ ही साथ, सामान्य वर्ग को जो आशा की किरण, आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने दिखाई है, उससे आज यह पूरा सदन प्रफुल्लित है और देश के साथ ही साथ बाहर के लोग प्रफुल्लित हैं और निश्चित रूप से अगर किसी देश के राष्ट्रपति ने यह काम किया और जैसा आशुतोष मुखर्जी साहब ने किया, जिसके लिए वे याद किए जाते हैं, उसी प्रकार से अब माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो यह काम किया किया है, इसके लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री प्रदीप टम्टा (उत्तराखंड): महोदय, मैं चेयरमैन साहब द्वारा quote की गई बात से अपनी बात प्रारम्भ करूंगा कि जब सदन में कुछ हो रहा होता है, तो पूरा देश उसे देख रहा होता है। आज यही हुआ कि इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग, जो इस देश की जनसंख्या के सबसे बड़े वर्ग हैं, उनके लिए एक बिल आया है और governing

class ने, दोनों ओर से, आराम से कह दिया कि बहस के समय को घटा दिया जाए। इस चीज़ को पूरा देश और दुनिया देख रही है, हम किससे न्याय की उम्मीद करें?

महोदय, कल सत्ता पक्ष के एक साथी ने कहा था कि एकलव्य किसने बनाया हमारे लिए एकलव्य और शम्बूक से जो इतिहास चला था, रोहित वेमुला तथा डा. थानवी तक की जातीय उत्पीड़न की घटना दर्शाती है कि जातीय सिस्टम आज भी इस देश में बना हुआ है। जब तक हम इसे नष्ट नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा।

महोदय, सवाल यह है कि एक हाथ से आप हमें दे रहे हैं। इस Act का Section 3, जो हमें दे रहा है - There shall be reservation for the post of direct recruitment for the SC, ST and OBC. विश्वविद्यालय को एक इकाई माना जाएगा, विभाग नहीं, और दूसरी ओर धारा 4 में आप हमसे इसे वापस ले रहे हैं - The provisions of Section 3 shall not apply to the institutions of excellence, research institutions and institutions of national importance, etc. यह आप हमसे किस कानून के तहत ले रहे हैं? यदि इस देश के संविधान की सभी शर्तों को आप लागू करते हैं और कहते हैं कि संविधान को हमें लागू करना है और बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम आप बहुत प्यार से लेते हैं, भले ही प्यार करते हों या नहीं, तो यह भी उसी संविधान का हिस्सा है। इस बारे में Article 16 (4) क्या कहता है? मैं आपको बताता हूं कि Article 16 (4) says, "Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented…" जब संविधान कह रहा है कि राज्य के किसी भी विभाग में या किसी भी अंग में यदि उनका प्रतिनिधित्व कम है, तो फिर आपने यह कौन सी नई important कैटेगरी निकाल दी, क्या यह कोई नया कास्ट सिस्टम निकल रहा है? डा. सत्यनारायण जटिया साहब ने जैसा कहा कि इस देश में तो मानव पैदा नहीं हुआ। आपका इस प्रकार का यह काम, इस देश में कुछ खास लोग, जो privileged class में थे, क्या जो brahminical (naindect) या विचार है, उसी के हिसाब से और उसी धारा को तो व्यक्त नहीं करता है?

महोदय, सवाल है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अप्रैल, 2017 में रोस्टर के 200 प्वाइंट को समाप्त कर के 13 प्वाइंट जारी कर दिया था। सरकार तब भी सोई रही। उच्चतम न्यायालय का जून, 2017 में फैसला आ गया था। मार्च, 2018 में UGC ने जो notification जारी किया था, वह क्या सिर्फ UGC ने जारी किया? महोदय, UGC ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आधार बनाकर HRD Ministry को लिखा कि यह निर्णय लागू होना है। HRD Ministry ने Law और DoPT Ministry से सलाह ली और सबने आराम से कह दिया कि 200 प्वाइंट के रोस्टर का गला घोंट दो और फांसी दे दो। एससी/एसटी वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा और सबने इसको लागू कर दिया।...(**समय की घंटी**)... यह बात कड़वी जरूर होगी, लेकिन आप मेरी यह बात सुन लीजिए। आप सबने मिलकर इस देश के एससी/एसटी वर्ग के लोगों को वंचित किया दो वर्षों के अंदर जो हुआ, उसका कौन जिम्मेदार होगा? जो तीन सेंट्रल युनिवर्सिटीज़ हैं - पंजाब युनिवर्सिटी, तमिलनाडु युनिवर्सिटी और तीसरी राजस्थान युनिवर्सिटी है, वहां पर जो appointments

[श्री प्रदीप टम्टा]

होने वाली थीं, आपने वहां पर एससी/एसटी वर्ग के लोगों को क्यों रोका? ...(**समय की घंटी**)... हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गाँधी जी ने फरवरी, 2017 में पत्र लिखा था, कि विश्वविद्यालय को इकाई मना जाय न कि विभाग को सरकार तो मार्च में जागी थी।

श्री उपसभापति: आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री प्रदीप टम्टा: इसलिए judiciary भी मिली हुई है। यह judiciary, जिसकी नेशनल इम्पोर्टेन्स की संस्थाओं में आरक्षण न हो के द्वारा हमें काटा गया, वह इंदिरा साहनी का केस है। बताइए ऐसा कौन-सा...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री प्रदीप टम्टा: मैं अपनी बात कन्क्लूड कर रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम तो सिर्फ judiciary को देखते थे, लेकिन यह वर्ग इंदिरा साहनी से कटा, नागराज केस से कटा और आज फिर Sc/Sc Atrocities Act में भी सरकार ने judiciary के माध्यम से अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया है। ये आज फिर इस माध्यम से अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम इस सभा को विचार तो करने दीजिए क्योंकि बड़ी मुश्किल से इन वर्गों की हकीकतें सदन में आती हैं, देश-दुनिया में जाती हैं, लेकिन आपके पास, सदन के पास इस पर बहस करने का समय नहीं है। सब कह देते हैं कि हाउस का यह निर्णय है, मैं उस हाउस के उस निर्णय में शामिल नहीं हूं।...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: धन्यवाद।

श्री प्रदीप टम्टा: आपने जो निर्णय लिया, मैं उस हाउस में शामिल नहीं हूं। जो उस हाउस में शामिल थे, वे शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसको दुनिया देखेगी, देश देखेगा, एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग के लोगों को उनका हक मिलेगा और जो जाति...(**व्यवधान**)... व्यवस्था समाप्त होगी।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री प्रदीप टम्टा: अंत में इसी बात को कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि आपने केंद्रीय संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान तो कर दिया है, लेकिन आज, जब आप पूरे देश में सभी विश्वविद्यालयों का निजीकरण कर रहे हैं, तब क्या निजी विश्वविद्यालयों में हमारे एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग के लोगों को रिज़र्वेशन का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? जब उनको यह एडमिशन में मिल सकता है, तो उनको नौकरियों में क्यों नहीं मिलेगा...(**व्यवधान**)... सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए, धन्यवाद।

श्री उपसभापति: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीर सिंह जी, आपके चार मिनट हैं, आप बोलिए।

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, हमारे आठ मिनट हैं।

श्री उपसभापति: जो समय तय है, मैं उसके अनुसार बता रहा हूं।

3.00 P.M.

श्री वीर सिंह: कल कांग्रेस और बीजेपी का समय कम हुआ है, हमारा नहीं हुआ है।

श्री उपसभापति: आपका जो समय है, यह उसी के अनुसार है।

श्री वीर सिंह: महोदय, माननीय मंत्री जी जो केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक, 2019 लाए हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं। महोदय, मैं केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित अनुरक्षित और सहायता प्राप्त कतिपय केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में, शिक्षकों के काडर में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में पदों के आरक्षण और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, यूजीसी के वर्ष 2006 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उच्च शैक्षणिक संस्थानों में संकाय के पदों पर नियुक्ति होने का प्रावधान था और यूजीसी के निर्देश थे कि आरक्षण प्रणाली में जो 200 प्वाइंट रोस्टर है, उसमें विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को एक इकाई मानकार नियुक्तियां की जाएं। जिसे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने वर्ष 2017 में अमान्य घोषित कर दिया था और एक नई 13 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली को लागू करने की बात कही गई जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी मान्यता दी थी। इस पर, हमारी बहुजन समाज पार्टी अध्यक्षा बहिन कुमारी मायावती जी ने चिंता व्यक्त की है कि नई व्यवस्था के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लोगों को संविधान की मंशा के अनुरूप न्याय नहीं मिलेगा। हम लोगों ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से संसद में और बाहर भी उठाया था।

महोदय, विश्लेषण बताता है कि यदि इकाई विभाग को मानते हैं तो प्रोफेसरों के पदों में 100 प्रतिशत, एसोसिएट प्रोफेसरों के पदों में 59 प्रतिशत व असिस्टेंट प्रोफेसरों के पदों में 78 प्रतिशत की कमी हो रही थी, जिसकी इस विधेयक द्वारा क्षतिपूर्ति की जा रही है। इसमें आरक्षण और संकाय भर्ती की इकाई वह विभाग न होकर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय होगा।

महोदय, मंत्रालय की एक रिपोर्ट द्वारा बताया गया है कि देश में 12 लाख, 84 हजार शिक्षक विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 56.8 प्रतिशत सामान्य वर्ग से आते हैं, 8.6 प्रतिशत अनुसूचित जाति और मात्र 2.27 प्रतिशत शिक्षक अनुसूचित जनजाति के कार्यरत हैं। एससी/एसटी की यह संख्या संविधान में निहित आरक्षण व्यवस्था, जिसमें एससी को 15 प्रतिशत, एसटी को 7.5 प्रतिशत और ओबीसी को 27 प्रतिशत देने की है, उसके विरुद्ध है। शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम मात्र 5.3 प्रतिशत व अल्पसंख्यक 9.4 प्रतिशत ही हैं। मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि यूजीसी शिक्षकों के काडर में आरक्षण भर्ती में नाकाम रहा है और भारी संख्या में वर्षों से पद खाली पड़े हैं, जिसका नुकसान छात्रों को हो रहा है।

महोदय, 7 हजार पद खाली हैं। मेरी मांग है कि पहले backlog पूरा किया जाए। Backlog के माध्यम से पहले SC/ST/OBC के जो पद हैं, उन्हें भरा जाए, उसके बाद दूसरी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए।

[श्री वीर सिंह]

इसके साथ-साथ, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि जो चयन प्रक्रिया होती है, उसमें जो समिति होती है, वह SC/ST/OBC के बच्चों के साथ भेदभाव करती है। वे written में तो 90 परसेंट marks लाते हैं, लेकिन interview में उन्हें 30-40 marks दिए जाते हैं। इस तरह से उनकी merit गिरा दी जाती है और उनको रोक दिया जाता है। इसलिए यह निष्पक्ष होना चाहिए, यह सरकार से और माननीय मंत्री जी से मेरी मांग है।

महोदय, विधेयक के Clause 3 में कहा गया है कि Institute of National Excellence और Research Institute को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाएगा। ऐसा क्यों है? क्या आरक्षित वर्ग विशेष में योग्यता नहीं है? यदि इसका कोई अन्य कारण है, तो माननीय मंत्री जी अगर इस संदर्भ में प्रकाश डालेंगे, तो अच्छा होगा। हमारी पार्टी सदन में मांग करती है कि Institute of National Excellence और Research Institute को भी आरक्षण के दायरे में लाया जाए और उनमें रिक्तियों को तुरंत भरा जाए।

महोदय, आज सरकारी विश्वविद्यालयों का निजीकरण किया जा रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि जो प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, उनमें भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री उपसभापति: आप conclude करिए।

श्री वीर सिंह: उनमें भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि धीरे-धीरे करके केन्द्र सरकार निजीकरण करती चली जा रही है, जिससे हमारा आरक्षण समाप्त होता चला जा रहा है। जब सारा कुछ प्राइवेट हो जाएगा, तो फिर हमारा आरक्षण कहां बचेगा? परमपूज्य डा. भीमराव अम्बेडकर साहब की जो सोच थी, बाबा साहेब ने भारतीय संविधान बनाते समय जो कहा था और जब संविधान लागू हुआ था, तो संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को अधिकार तो दिए गए, किन्तु सरकार की मंशा साफ होनी चाहिए। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि आप जिस मंशा से इस बिल को लाए हैं, उस मंशा से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश): सर, इन्होंने 5 मिनट से पहले अपना भाषण समाप्त कर दिया।

श्री उपसभापति: बहुत बढ़िया। ऐसा ही आगे सब लोग करेंगे, मुझे उम्मीद है। माननीय महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया जी। तुंदिया जी, आपके पास 5 मिनट का समय है।

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया (गुजरात): उपसभापति महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। देश के सम्माननीय प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्रभाई मोदी जी के कर्म सूत्र - "सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास" के तहत भारत राष्ट्रसंघ के पिछड़े हुए समुदाय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए नौकरियों में आरक्षण देकर रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु तथा पिछड़े समुदाय

के सभी लोगों को मुख्यधारा में शामिल करने हेतु यह सही दिशा में एक कदम है, जिसकी मैं तहेदिल से सराहना करता हूं और इस बिल का समर्थन भी करता हूं।

सर, इस प्रस्तुत विधेयक से पिछड़े हुए वर्गों को आरक्षण के परिणामस्वरूप सम्मानजनक स्थान भी प्राप्त होगा और यह राज्यों की आरक्षण नीति को सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का सम्मानजनक प्रयास है। असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो या फिर प्रोफेसर हो, तीनों कैडर्स में किसी संकाय या विषय को ध्यान में लिए बिना महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय को एक यूनिट मान कर शैक्षणिक पदों पर शिक्षकों के उक्त तीनों कैडर्स में आरक्षण नीति लागू होगी। पिछड़े हुए वर्गों के प्रति अत्यंत संवेदनशील भारत सरकार एवं आदरणीय प्रधान मंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

सर, आपने समय की अवधि बहुत कम रखी है, इसलिए मैं इस विषय पर ज्यादा कुछ न कहते हुए मेरे मन में यह जो केन्द्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्यापकों के लिए आरक्षण विधेयक है, उसके सम्बन्ध में अपने मन से माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इसमें विषय-वार या विभाग-वार रोस्टर बनाने की बात दूर हो रही है। समग्र संस्था - विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय, को एक इकाई माना जा रहा है। यहां महत्वपूर्ण बात समग्र संस्था में यह लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, उस पद्धति की है। इसका अर्थ है कि यदि किसी विश्वविद्यालय में 25 विभाग हों, जब हर विभाग को मूलाक्षर के क्रम में रख कर रोस्टर क्रम निश्चित करना चाहिए। जैसे कि प्रथम विभाग 'ए' अक्षर से एंथ्रोपोलॉजी का हो, दूसरा विभाग बायोसायंस/बॉटनी का, तीसरा केमिस्ट्री का और कॉमर्स का हो सकता है। अगर अक्षर 'डी' में कोई विभाग नहीं हो, तो चतुर्थ क्रम में फिर इंग्लिश, पांचवें क्रम में फार्मेसी, छठे क्रम में गुजराती और अन्य कोई विषय हो सकता है। आखिर में ज़ूलॉजी भी आ सकता है। इस तरह से विभागों में मान्य अध्यापकों की संख्या रख कर रोस्टर बनाया जाए, तो किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। कम अध्यापक संख्या वाले विभाग, उदाहरण के लिए Electricals या Earth Science को यदि रोस्टर में लगा दिया जाएगा, उस प्रकार आरक्षित वर्ग का अध्यापक मिल नहीं पाएगा।

महोदय, विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में अध्यापकों के आरक्षण के इस विधेयक में शारीरिक विकलांग वर्ग के बारे में कोई खास उल्लेख नहीं है। इसका उल्लेख भी होना चाहिए और उनको इसका लाभ भी मिलना चाहिए। इसमें महिला अध्यापकों के बारे में भी उल्लेख होना आवश्यक है। सर, मेरा एक सुझाव है कि जिस तरह से गुजरात में अनुसूचित जाति वर्ग के अति पिछड़ा वर्ग और महादलित समुदाय के वर्ग के लिए प्रावधान है, उसी तरह इस बिल में भी उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। इसके साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी इस प्रकार के प्रावधानों को लागू किए जाने के लिए भी मेरा सुझाव है। बैकलॉग के बारे में इस विधेयक में खास स्पष्टता नहीं है। मैं शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे बैकलॉग के संदर्भ में भी कुछ स्पष्टता करें।

विश्वविद्यालयों की कुछ संस्थाओं में निदेशकों और महाविद्यालयों में प्रिंसिपल्स की जगह के लिए अलग रोस्टर व्यवस्था लागू की जाए। इससे कुछ महाविद्यालयों में आरक्षित वर्ग के योग्य उम्मीदवारों को भी मौका मिल सकता है। मेरा एक और सुझाव है, विश्वविद्यालयों एवं अन्य राष्ट्रीय

[महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया]

संस्थानों में Executive Council अथवा अन्य प्रशासनिक वर्गों के स्तर पर भी आरक्षित वर्ग के अध्यापकों का रोस्टर लागू किया जा सकता है। यदि इसे आरक्षित पद बना दिया जाए, तो बहुत ही उपयोगी होगा। यही बात Vice Chancellor या Pro-Vice Chancellor के पदों के लिए भी लागू की जा सकती है। Temporary teachers के पदों के लिए भी रोस्टर व्यवस्था लागू की जा सकती है।

सर, अंत में मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव और देना चाहता हूं, चाहे SC/ST, OBC अथवा SEBC का प्रोफेसर हो या किसी अन्य पिछड़े समुदाय से आने वाला कोई प्रोफेसर हो, पिछले सालों में हमने यह भी देखा है कि लोग न्यायालय में जा करके करके अमलीकरण पर रोक लगाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी यह मंशा देश के सभी लोगों के सामने आ रही है।

अंत में एक सुझाव और है, हम यह जो 200-point व्यवस्था को लागू करने जा रहे हैं, उसकी monitoring के लिए प्रत्येक जगह पर एक ऑफिसर आरक्षित होना चाहिए, जो तय कर सके कि जो बैकलॉग था, उसको कैसे भरा जा रहा है। मेरा यह सुझाव भी है, आरक्षण के विषय को देखने अथवा चिह्नित करने के लिए मैं जो Monitoring Officer की बात कह रहा हूं, वह आरक्षित वर्ग से ही आना चाहिए। इतनी बात कहते हुए, आदरणीय प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देते हुए, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री उपसभापति: श्री रामदास अठावले जी, दो-तीन मिनट में आप अपनी बात कहें। We have to move ahead.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले): डिप्टी चेयरमैन साहब, हमारे 'निशंक' जी एक बहुत ही अच्छे मंत्री हैं और आज का विषय भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।

जिनको मिले हैं एचआरडी मिनिस्टर के पंख।
उनका नाम है 'निशंक'।।
नरेन्द्र मोदी जी को मिले हैं 353 अंक।
लेकिन कांग्रेस वाले करते हैं शक।।

सर, Scheduled Caste and Scheduled Tribes के लिए यह एक बहुत अच्छा बिल लाया गया है। केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के कैडर में आरक्षण के लिए जो अध्यादेश निकाला गया था, उसको पारित करने के लिए ही आज यहां यह बिल लाया गया है। SC/ST के जो टीचर्स हैं, उनको न्याय देने के लिए यह बहुत ही important Bill है। हमारी सरकार दलित विरोधी नहीं है। कोई SC/ST या OBC का हो, सबको इसमें आरक्षण दिया गया है। जनरल कैटेगरी में जो पिछड़े वर्ग का हो, उनको भी 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है, चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो अथवा किसी अन्य सम्प्रदाय का हो, जिसकी आय 8 लाख से कम है,

उन सभी को नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने आरक्षण दिया है। आज का जो बिल है, यह बहुत ही अच्छा बिल है। मेरी पार्टी, Republican Party of India, बाबा साहेब अम्बेडकर जी की विचारधारा की पार्टी है और अपनी पार्टी की तरफ से मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। हमारे जो 'निशंक' जी हैं, मैं इनको हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने आते ही बहुत ही अच्छा बिल लाया है। भविष्य में आपका भला हो जाएगा। जो शैड्यूल्ड कास्ट को सपोर्ट करता है, उसका भला होता है और जो शैड्यूल्ड कास्ट का विरोध करता है, उसका क्या होता है, आपने देखा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: धन्यवाद, अठावले जी।

श्री रामदास अठावले: यह ठीक बात है। इस बिल पर अभी ज्यादा बोलने का वक्त भी नहीं है। तो मैं इस बिल का अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन करता हूं और देश भर के जितने सभी टीचर्स हैं, उनको इसके सम्बन्ध में न्याय मिलेगा, इसी तरह की आशा व्यक्त करते हुए, मैं दो शब्द कह कर अपनी बात खत्म करता हूं- जय भीम, जय भारत!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Mover of the Resolution, Shri Elamaram Kareem. Make very brief points within two-three minutes.

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Earlier, while moving the Resolution, I have talked about the Ordinance, the way by which the Government promulgated it on the 7th March, just before the election. Its intention was not saving or protecting the backward classes or the oppressed classes, but it was an election engineering, through which the Government was undermining the propriety of the Parliament. We always oppose this Ordinance route for enactment. While participating in the discussion, the Government is justifying by quoting the number of Ordinances made during the Congress Government and during the NDA Government. Sir, that is not the question. Whichever may be the Government, the Constitution gives the power to the Government as and when required if there is an emergency or exigency, Ordinance can be promulgated. It should be used very cautiously in peculiar situation. Always promulgating Ordinance, advising the hon. Rashtrapati*ji* to promulgate an Ordinance, is not proper. Here in this House, during this session, how many Ordinances have come? So, I earnestly request the Government in future, you please bring the Bill in the House and that Bill has to go through detailed discussion and Parliamentary scrutiny. That is also an issue. While the Bill is brought, we have to scrutinise that Bill. This is the Elders' House. There should be a check and balance. It is not proper that all the Bills are passed without scrutiny by the House. So, in view of this Ordinance and the past Ordinances, I once again request the Government, in future, to please bring all Bills to the House, for scrutiny and thorough discussion in the House.

[Shri Elamaram Kareem]

Regarding reservation, I agree with the Government. In the teacher's selection, reservation should be given to SC, ST and socially and economically backward community. It is essential, and in such a way protect the depressed classes. I fully agree with that proposal. With these words, I conclude.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Elamaram Kareem*ji*. अब माननीय मंत्री जी जवाब देंगे।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'): श्रीमान्, मैं पूरे सदन का बहुत आभारी हूं। लगभग 3 घंटे से भी अधिक यह चर्चा चली है। श्री पी.एल. पुनिया जी से यह चर्चा शुरू हुई और इसमें श्री प्रभात झा जी, प्रो. राम गोपाल यादव जी, श्री नवनीतकृष्णन जी, श्री अबीर रंजन बिस्वास जी, श्री प्रसन्न आचार्य जी, श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह जी, श्री रागेश जी, प्रो. मनोज कुमार झा जी, श्री अनिल देसाई जी, श्री सुशील कुमार गुप्ता जी, आदरणीय दिग्विजय जी, श्री तिरुची शिवा जी, आदरणीय डा. सत्यनारायण जटिया जी, श्री हनुमंतय्या जी, श्री बिनोय विश्वम जी, श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, श्री प्रदीप टम्टा जी, श्री वीर सिंह जी, शंभुप्रसादजी, आदरणीय रामदास जी और इलामारम करीम जी ने भाग लिया। मैं यहां सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि सदन में इस बिल पर बहुत सार्थक चर्चा हुई, हर बिन्दु पर गहन चर्चा हुई। महोदय, शिक्षा ऐसा विषय है - चाहे व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो या राष्ट्र हो - शिक्षा उसकी रीढ़ की हड्डी है। यदि शिक्षा नहीं है तो मनुष्य पत्थर की तरह होता है। शिक्षा ही मनुष्य को सजीव बनाती है, उसमें संवेदना प्रकट करती है और उस संवेदना को जीवित भी रखती है। इसे दृष्टि में रखते हुए, उच्च सदन में शिक्षा पर जो चर्चा हुई, मैं हृदय की गहराइयों से सभी माननीय सदस्यों का बहुत अभिनंदन करता हूं। महोदय, मुझे मालूम नहीं कि आप मुझे कितना समय दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... मेरी इच्छा थी कि जब मैंने एक-एक बिन्दु को नोट किया है, मैं उन सभी बिन्दुओं का यहां उत्तर दे सकूं। जैसी आपकी आज्ञा हो, आप मुझे इजाज़त दे दें।

(**श्री सभापति** *पीठासीन हुए*)

महोदय, ऐसा लगता है कि पहले कुछ भ्रम की स्थिति थी, लेकिन इस सबके बावजूद, सभी माननीय सदस्यों ने एकमत से इस बिल का समर्थन किया है। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदय, सरकार द्वारा, केन्द्रीय सरकार द्वारा पुर:स्थापित अनुरक्षित सहायता-प्राप्त कतिपय केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षकों के काडर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति में पदों के आरक्षण का और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाला जो विधेयक लाया गया है, वह पहले अध्यादेश के रूप में लाया गया था।

फिर ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हुई, मैं थोड़ा उसकी पृष्ठभूमि में जाना ज़रूरी समझता हूं, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के उपरांत कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का 2006 का जो दिशा-निर्देश है, वह लगातार चला आ रहा था। उससे पहले कोई कठिनाई नहीं थी। सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पूरी गतिशीलता से अपने यहां पदों को उसी अभियान से जोड़कर भरते थे, लेकिन यूजीसी के 2006 के दिशा-निर्देशों के बाद, विश्वविद्यालयों और महा-विद्यालयों में, विशेषकर जब बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का 16 जुलाई, 2016 का एक विज्ञापन निकला, उसके खिलाफ कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि इसमें जो 200 अंकों का प्रावधान है, हम उसके खिलाफ हैं। हम इसके स्थान पर 13 अंक वाला फार्मूला चाहते हैं, विभाग के आधार पर चाहते हैं - विश्वविद्यालय-वार नहीं चाहते हैं, महा-विद्यालय-वार नहीं चाहते। उनका कहना था कि इसमें विभाग के आधार पर आरक्षण दिया जाए। हाई कोर्ट ने भी उनके पक्ष में आदेश दे दिया और यूजीसी के निर्देश पर रोक लगा दी, खत्म कर दिया, उनके प्रावधान को नहीं माना और उस प्रावधान को खत्म कर दिया।

इसके खिलाफ, जब हाई कोर्ट का आदेश आया, 12.09.2016 को मंत्रालय और यूजीसी ने अलग-अलग समय में हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कीं। उच्च न्यायालय में 7 अप्रैल, 2017 को रिट याचिका दायर की गई। हमने तमाम बिन्दुओं के आधार पर हाई कोर्ट को बताया कि संविधान की मंशा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को न्याय देने की है। यदि आपका निर्णय हम लागू करते हैं तो कदाचित् उनके साथ न्याय नहीं होगा, इसी आधार पर हम हाई कोर्ट में गए। यूजीसी ने जब उनका आदेश देखा, इस बीच हमने एक कमेटी का गठन किया और कमेटी गठित करके उन आदेशों की पीछे से समीक्षा करना शुरू कर दिया। उसके बाद हम उच्चतम न्यायालय में भी गए, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने भी हाई कोर्ट के उसी आदेश को बरकरार रखा और यह निर्देश दिया कि नहीं, यही ठीक है। जब हम लोगों ने यह देखा कि तमाम तर्क और दलील देने के बाद भी उच्चतम न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली, तो हम लोगों ने तुरंत 21 विश्वविद्यालयों का एक विश्लेषण किया और उसमें यह देखा कि यदि इसको लागू करते हैं, तो कितनी कठिनाइयां आएंगी। इस संबंध में जो हमारी शंका थी, वही हुआ। कई माननीय सदस्यगण ने इन बातों की चर्चा भी की कि यदि हम विश्वविद्यालय की जगह विभाग को इकाई मानते हैं, तो कितना परिवर्तन हो रहा है? जब हम लोगों ने इस संबंध में अनुसूचित जाति के लिए सर्वे किया और उस सर्वे में 21 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विश्लेषण के बाद यह पाया कि यदि हम विश्वविद्यालय को इकाई मानते हैं, तो प्रोफेसर के 133 पद होते हैं और यदि हम विश्वविद्यालय को इकाई न मान करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप विभाग को इकाई मान कर करते हैं, तो अनुसूचित जाति के केवल 4 पद ही होंगे। एसोसिएट प्रोफेसर के मामले यदि हम विश्वविद्यालय को इकाई मानते हैं, तो अनुसूचित जाति के 262 पद आएंगे, जब कि यदि विभाग को इकाई मानते हैं, तो मात्र 47 होंगे। ऐसे ही हमने सहायक प्रोफेसर के लिए किया। इसमें हमने देखा कि यदि हम विश्वविद्यालय को इकाई मानते हैं, तो अनुसूचित जाति के 619 पद होते हैं, जब कि यदि विभाग को इकाई मानेंगे, तो मात्र 249 पद ही आएंगे।

[श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक']

श्रीमन्, इसके बाद हम आश्वस्त हो गए कि इस तरह से अनुसूचित जाति के साथ बहुत अन्याय होगा। उसके बाद हमने फिर अनुसूचित जनजाति के मामले में विश्लेषण किया। बहुत सारे माननीय सदस्यगण ने एसटी का भी विषय उठाया। हम लोगों ने उस पर भी अध्ययन किया और अध्ययन के बाद हमने यह पाया कि यदि विश्वविद्यालय को इकाई मान कर करते हैं, तो प्रोफेसर में अनुसूचित जनजाति के 58 पद आएंगे, लेकिन यदि विभाग को इकाई मान कर करते हैं, तो एक भी नहीं आएगा। ऐसे ही हमने एसोसिएट प्रोफेसर का भी किया है और पाया कि यदि हम विश्वविद्यालय को इकाई मानते हैं, तो वे 130 पदों पर पदासीन होंगे, जब कि यदि विभाग को इकाई मानते हैं, तो मात्र 6 पदों पर होंगे। ऐसे ही हमने सहायक प्रोफेसर का भी किया है और पाया कि हम विश्वविद्यालय को इकाई मानते हैं, तो 309 होंगे और यदि विभाग को इकाई मानते हैं, तो 66 होंगे।

श्रीमन्, ऐसे ही हम अनुसूचित जनजाति के बाद जब ओबीसी पर आए और उसका भी अलग से विश्लेषण किया, पूरा अध्ययन किया, तो अध्ययन करने के बाद हमने यह पाया कि यदि हम विश्वविद्यालयस को इकाई मानते हैं, तो प्रोफेसर के 11 पद होते हैं और यदि विभाग को इकाई मानते हैं, तो यह ज़ीरो है। ऐसे ही एसोसिएट प्रोफेसर में यदि विश्वविद्यालय को इकाई मानते हैं, तो 29 हैं और यदि विभाग को इकाई मानते हैं, तो केवल 14 हैं। इसी तरह से सहायक प्रोफेसर में यदि विश्वविद्यालय को इकाई मानते हैं, तो 1,112 हैं, जब कि विभाग को इकाई मानते हैं, तो मात्र 855 होते हैं।

श्रीमन्, चूंकि हमारी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी की पक्षधर रही है, उनके हितों के साथ कभी भी अन्याय न हो, यह हमारी पहली प्राथमिकता रही, इसलिए यह आने के बाद हम लोगों ने SLP दायर की, विशेष याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए। हमने सुप्रीम कोर्ट में विशेष करके कहा और इन सारे बिन्दुओं को रखा। 12 अप्रैल, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने हमारी विशेष याचिका को भी खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गए और पुनर्याचिका दर्ज किया। 22 जनवरी, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पहली विशेष याचिका को खारिज की। यहां पर कई माननीय सदस्यगण कह रहे थे कि इतने दिनों तक क्या कर रहे थे? इसलिए यह सब बताना जरूरी था ताकि इस सदन के सदस्य के मन में यह बात आए कि सरकार चुप नहीं बैठी थी, लगातार लड़ रही थी।

श्रीमन्, उसके बाद 12 फरवरी, 2019 को हम फिर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका को लेकर गए और हमें आशा थी कि हम पुनर्याचिका में जीत जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से 27 फरवरी, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया। श्रीमन् मुझसे कहा जा रहा था कि यह केवल चुनाव के लिए किया गया। यह पहले भी किया जा सकता था, पहले यह सब कुछ हो रहा था। इसके बाद सरकार चुप नहीं बैठी और सरकार ने तुरंत अध्यादेश का एक मसौदा तैयार किया और मसौदा तैयार करने के बाद 7 मार्च - श्रीमन्, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही हमारी याचिका को खारिज किया, तब हमने तत्काल मसौदा तैयार किया। हम चुप नहीं बैठे। इस सरकार की मंशा को सदन समझ सकता है। उसके बाद 7 मार्च, 2019 को महामहिम राष्ट्रपति जी ने

संविधान के अनुच्छेद 123(ए) के प्रावधानों के तहत हमें सहमति दी और इसकी अधिसूचना जारी की। जिस दिन 7 मार्च को अधिसूचना जारी हुई, उसी दिन हमने इसे यूजीसी को भेज दिया और यूजीसी ने 8 मार्च को ही अपने निर्देश जारी कर दिए और भर्ती का रास्ता खुल गया। श्रीमन्, हमने यह काम किया है। कहा गया कि इस अध्यादेश को विशेष परिस्थितियों में क्यों लाए? मैं कहना चाहता हूं कि पीढ़ी से बड़ी क्या विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं। जिन अनुच्छेदों का बार-बार उल्लेख हो रहा है कि यह अध्यादेश विशेष परिस्थितियों में लाया गया, इससे बड़ी परिस्थिति क्या हो सकती है, यह एक पीढ़ी का विषय है। जो पढ़ाने वाले हैं, वे नहीं हैं और पढ़ने वाले का एक-एक दिन, एक-एक घंटा मूल्यवान है। हमने जो केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक, 2019 का प्रख्यापन किया, अधिसूचना की, आज हम उसी को लेकर यहां आए हैं। एक विषय यह है, जिससे सारी नियुक्तियों का रास्ता साफ हो जाएगा और जितने भी पद रिक्त हैं, वे भी भर दिए जाएंगे।

श्रीमन्, अगर हम पूरे राज्यों की रिक्तता देखेंगे, तो हमारी रिक्तता काफी बड़ी संख्या में है और हम उस रिक्तता को जल्दी से जल्दी भरने में कामयाब होंगे। यदि यह देखा जाए, तो पूरे देश में प्राइवेट संस्थानों में उच्च शिक्षा में टोटल 14,07,373 पद हैं, जबकि उन पर 10,62,659 पदासीन हैं। जो पूरे देश में रिक्त पद हैं, चाहे वे राज्यों में हैं या प्राइवेट में हैं, 3,44,714 हैं, लेकिन जो सीधे राज्यों और केंद्र के द्वारा संचालित हैं या वित्तपोषित हैं, उनकी संख्या 3,30,903 है। इनमें 74,120 रिक्तियां हैं। केंद्रीय संस्थानों में, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 7000 रिक्त पद हैं। इन पदों को जल्दी से जल्दी भरने का सरकार ने निर्देश दे दिया है और हमारी कोशिश है कि हर हालत में ये पद जल्दी से जल्दी भरे जाएं।

श्रीमन्, इसके साथ जो दूसरा बिल हम लाए हैं, वह भी महत्वपूर्ण है। इस सदन ने भी संविधान के 103वें संशोधन को ध्वनि मत के साथ पारित किया था, क्योंकि हमारा संविधान सभी को समान विकास का अधिकार देता है और वैसे भी हमारे प्रधान मंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीता है। इस देश ने इस पर मुहर लगा दी है, लेकिन अब दुनिया भी इसका अभिनंदन कर रही है। ये सभी लोग इस बात को जानते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि इसमें यह हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरक्षण की कटौती किए बिना, न अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और न ओबीसी, बिना किसी कटौती के अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले गरीब, गरीब की कोई जाति नहीं होती है, गरीब, गरीब होता है। गरीब किसी पंथ, जाति का नहीं होता। गरीब की कोई जाति नहीं होती है। श्रीमन्, इस देश में उस गरीब का भी हक है। भारत का संविधान भी हमें इस बात की इजाज़त देता है और कहता है कि "हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्तियों में की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं।" श्रीमन्, जो भी इस देश के अंदर हैं, यह उसका हक है। श्रीमन्, अंतिम छोर पर बैठे रहने वाला व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म

[श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक']

या पंथ का हो, उसको इसकी जरूरत है। जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको 10 प्रतिशत का आरक्षण मिले, ऐसा प्रावधान भी हमने इसमें किया है, जिससे पूरे देश में उत्साह है, उमंग है। श्रीमन्, मैं बताना चाहता हूं कि आज यह जो विधेयक आया है, इसमें यह भी सम्मिलित है। इसके लिए हमने इसमें 717.83 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है, ताकि साथ-साथ में उनकी नियुक्तियां भी सुनिश्चित हों।

श्रीमन्, मैं इस सदन को एक अच्छी सूचना भी देना चाहता हूं। इस बिल पर बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें कही हैं। अगर आप अलग से इजाज़त देते, तो जिन-जिन माननीय सदस्यगण ने यहां पर अपने अलग-अलग विचार प्रकट किए हैं, उनको उस रूप में भी मैं कुछ कह सकता था, लेकिन समय की मर्यादा है। यह सबकी चिन्ता थी कि हिन्दुस्तान जैसा देश, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहां की शिक्षा ऐसी है कि हमारी गिनती पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। मैं आज बहुत गौरव और संतोष के साथ इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि इस वर्ष हमारे तीन संस्थान पूरी दुनिया के 200 श्रेष्ठ संस्थानों में आ गए हैं। श्रीमन्, हमारी नौ संस्थाएं 500 के अंदर आ गई हैं, जबकि 1,000 के अंदर हम 23 संस्थानों को लाए हैं। हमने यह कोशिश की है कि उच्च शिक्षा की इस गुणवत्ता को बनाये रखकर हम उनको और आगे बढ़ाएं। बहुत सारे सदस्यों ने यह कहा कि जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, उनमें आरक्षण क्यों हटा दिया गया और अल्पसंख्यक संस्थानों को क्यों हटा दिया गया? हमारे संविधान में अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए एक व्यवस्था है। वे वैज्ञानिक शोध के उत्कृष्ट संस्थान हैं और वे यूजीसी के अंतर्गत नहीं हैं। यूजीसी के अंतर्गत आने वाले जितने भी संस्थान हैं, वे सब के सब इसके अंदर आते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि गुणवत्ता और शोधात्मकता को लेकर पूरी दुनिया के शिखर पर जाने के लिए गवर्नमेंट कटिबद्ध है, जिसके लिए उन संस्थानों में शोध को बढ़ाने के लिए इस गवर्नमेंट ने एक लाख रुपये की अलग से व्यवस्था की है, ताकि उन संस्थानों को शिखर तक पहुंचाया जा सके।

श्रीमन् मैं सबके प्रति बहुत आभारी हूं। मुझे सभी का बहुत मार्गदर्शन मिला है और सबने एकजुट होकर, एक मन से इस बिल का समर्थन किया है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: I shall first put the Statutory Resolution moved by Shri Elamaram Kareem to vote. The question is:

"That this House disapproves the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers Cadre) Ordinance, 2019 (No.13 of 2019) promulgated by the President of India on 7th March, 2019."

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the motion moved by Shri Ramesh Pokhriyal 'Nishank' to vote. The question is:

> "That the Bill to provide for the reservation of posts in appointments by direct recruitment of persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the socially and educationally backward classes and the economically weaker sections, to teachers' cadre in certain Central Educational Institutions established, maintained or aided by the Central Government, and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill. In Clause 2, there are six amendments. Amendments (Nos.1-2) are given by Dr. T. Subbarami Reddy. Are you moving the Amendments?

CLAUSE 2 — DEFINITIONS

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Before that, I want to explain those Amendments. ...*(Interruptions)*... Otherwise, I would seek division. ...*(Interruptions)*... If you don't permit me to speak a word, then I would seek division. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Yes. ठीक है, बोलिए।

DR. T. SUBBARAMI REDDY: For inviting the application for direct recruitment, the Bill says 'through public advertisement', but I suggest that it should be 'in the leading newspapers and the electronic media.' This may be examined by the Minister. I am not moving my Amendments.

MR. CHAIRMAN: Amendment (No. 3) is given by Shri K.K. Ragesh.

SHRI K.K. RAGESH (Kerala): Sir, I move:

> (No. 3) That at page 2, lines 9 and 10, *for* the words "and maintained by or receiving aid from the Central Government", the words "including private Universities and private deemed Universities" be *substituted*.

MR. CHAIRMAN: Amendment (No. 5) is given by Shri Binoy Viswam.

SHRI BINOY VISWAM (KERALA): Sir, I move:

> (No. 5) That at page 2, *after* line 16, the following be *inserted*, namely:–
>
> "(vi) any private University or private college or centre of excellence, existing at present or which may come to exist in future under any jurisdiction of the Central Government or the University Grants Commission Act, 1956."

MR. CHAIRMAN: Amendment (No. 6) is given by Shri Elamaram Kareem.

SHRI ELAMARAM KAREEM: Sir, I move:

(No. 6) That at page 2, lines 9 and 10, *for* the words "and maintained by or receiving aid from the Central Government", the words "including a private institution which is deemed to be a University and an institution categorised as an institution of excellence" be *substituted*.

MR. CHAIRMAN: Amendment (No. 9) is given by Shri K. Somaprasad.

SHRI K. SOMAPRASAD (Kerala): Sir, I move:

(No. 9) That at page 2, lines 9 and 10, *for* the words "and maintained by or receiving aid from the Central Government", the words "including a private institution which is deemed to be a University and an institution categorised as an institution of excellence" be *substituted*.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No. 3) moved by Shri K.K. Ragesh to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No. 5) moved by Shri Binoy Viswam to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No. 6) moved by Shri Elamaram Kareem to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No. 9) moved by Shri K. Somaprasad to vote.

The motion was negatived.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, Clause 4. There is one Amendment (No. 4) by Shri K.K. Ragesh. Are you moving?

CLAUSE 4 — ACT NOT TO APPLY IN CERTAIN CASES

SHRI K.K. RAGESH: Sir, I move:

(No. 4) That at pages 2 and 3, clause 4 be *deleted*.

MR. CHAIRMAN: There are two Amendments (Nos. 7 and 8) by Shri Elamaram Kareem. Are you moving?

SHRI ELAMARAM KAREEM: Sir, I move:

(No. 7) That at pages 2, lines 46 and 47 be *deleted*.

(No. 8) That at pages 3, lines 2 and 3 be *deleted*.

MR. CHAIRMAN: There are two Amendments (Nos. 10 and 11) by Shri K. Somaprasad. Are you moving?

SHRI K. SOMAPRASAD: Sir, I move:

(No. 10) That at pages 2, lines 46 and 47 be *deleted*.

(No. 11) That at pages 3, lines 2 and 3 be *deleted*.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No.4) moved by Shri K.K. Ragesh to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendments (Nos. 7 and 8) moved by Shri Elamaram Kareem to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendments (Nos. 10 and 11) moved by Shri K. Somaprasad to vote.

The motion was negatived.

Clause 4 was added to the Bill.

Clauses 5 and 6 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, the Minister to move that the Bill be passed.

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि विधेयक को पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.